राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांकः– 06 OCT 2023

स्पष्टीकरण

नगरीय विकास विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.05.2020 के द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 06.09.2023 जिसका कार्यवाही विवरण दिनांक 29.09.2023 को जारी किया गया है। समिति के निर्णयों के बिन्दु संख्या 5 की पालना में निम्न निर्देश दिये जाते है।

भूमि अवाप्ति/अर्जन के बदले विकसित भूमि के फ्री–होल्ड पट्टे देने के संबंध में

भूमि अवाप्ति अधिनियमों के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति एवं नगर निकायों के सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत आपसी समझौते से भूमि अर्जन के बदले विकसित भूमि देने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2022 को आदेश जारी किये गये है उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 15 में अवाप्ति/अर्जन भूमि के बदले विकसित भूमि (आवासीय/मिश्रित/ व्यवसायिक आदि) के आवंटन पश्चात पट्टा नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अन्तर्गत दिये जाने का प्रावधान है एवं लीज राशि कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन हेतु उस क्षेत्र की आवासिक प्रीमियम दर के 4 गुना को आरक्षित दर मानते हुए लेने का प्रावधान किया गया था।

अब भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 7(1) में अधिसूचना दिनांक 18.01.2023 द्वारा संशोधन कर लीज राशि **आरक्षित दर** के स्थान पर **आवंटन दर या आरक्षित दर का 110 प्रतिशत जो भी कम हो** पर लेने का प्रावधान कर दिया गया है एवं अधिसूचना दिनांक 18.01.2023 के अनुसार ही लीज राशि/बकाया लीज राशि लेने के आदेश दिनांक 16.06.2023 को जारी किये जा चुके है जिसके अनुसार अवाप्त/अर्जन भूमि के भूखण्डों के आवंटन के प्रकरणों में लीज राशि/बकाया लीज राशि अधिसूचना दिनांक 18.01.2023 की अधिसूचना के अनुसार ही वसूल की जावें।

चूंकि अवाप्ति/अर्जित भूमि के बदले विकसित भूखण्ड भूमि के मुआवजे के रूप में दिये जाते है जिनके आवंटन के पेटे कोई राशि नहीं ली जाती है अर्थात आवंटन की कीमत शून्य है/आवंटन दर शून्य है।

CamScanner

अतः भूमि अवाप्ति/भूमि अर्जन के बदले भूखण्ड आवंटन दर शुन्य के आधार पर अधिसूचना दिनांक 18.01.2023 एवं विभागीय आदेश दिनांक 16.06.2023 के अनुसार बिना लीज राशि लिए फ्री–होल्ड पट्टे दिये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय नविवि।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

CamScanner